न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास नमित मेहता, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

प्रकरण संख्या 62/20 विविध

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर बनाम जसनाथ तंवर आदि

आदेश

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटि इन्टरस्ट एक्ट,2002

दिनांक 23.02.21

1. यत प्राधिकृत अधिकारी, **दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपारेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड़, जयपुर जरिये श्री विकमसिंह अधिवक्ता** ने वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम –2002 SARFEASI Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना–पत्र जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर इस बैंक के ऋणी **जसनाथ तंवर निवासी –लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर आदि** के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहरते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैक/कंपनी द्वारा दिनांक **29.09.20 को रूपये स्वीकृत–3,30,75,570/– (तीन करोड़, तीस लाख, पच्चतर हजार पांच सौ सत्तर रूपये)** का ऋण स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है –

आवासीय संपत्ति – आवासीय प्लॉट/पट्टा नम्बर 63, लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर जिसका कुल क्षेत्रफल 2203.9 वर्गफीट है।

3. चूंकि ऋणी **जसनाथ तंवर निवासी –लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर आदि** ने के द्वारा बैंक से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नही किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 31.01.2020 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

4. **जसनाथ तंवर निवासी –लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर आदि** ऋणी एवं इसके समस्त जमानतियों के द्वारा SARFESASI Act की धारा 13(2) के तहत रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 13.01.2020 को भेजा गया। ऋण राशि मय ब्याज दिनांक **11.01.2020 तक 2,96,28,150/–** रूपये का भुगतान करने हेतु बकाया है।इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया।

जिला कलक्टर बीकानेर

5. फलस्वरूप अप्रार्थी/ऋणी **जसनाथ तंवर निवासी –लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर आदि** को ऋणी द्वारा देय ऋण राशि का 60 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त भी भुगतान नहीं किये जाने से प्रार्थी कम्पनी द्वारा व्यथित होकर सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अन्तर्गत इस न्यायालय में ऋणी द्वारा ऋण पेटे गिरवी रखी गयी सम्पत्ति जोकि प्रार्थना पत्र में वर्णित है, का कब्जा प्राप्त करने हेतु निवेदन किया।

6. कोविड–19 महामहारी/लॉकडाउन/बार द्वारा कार्य स्थगन के कारण 60 दिवस की उक्त अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जाना संभव नहीं हो सका।

7. प्रार्थी **कम्पनी/बैंक** के इस प्रार्थना–पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीपक्ष को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बी.आर. जाट और धर्मेन्द्र कुमार व्यास उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

8. प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में धारा 14 में शपथ–पत्र प्रस्तुत कर ऋणी द्वारा प्राप्त किये गये ऋण के संबध में समस्त स्थिति प्रकट की गयी । प्रार्थी द्वारा दिनांक **29.09.2020** को प्रार्थना पत्र के सलंग्न शपथ पत्र का उल्लेख करते हुए यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त खाते में वसूली से सम्बन्धित अन्य किसी भी न्यायालय में कोई भी स्टे नहीं है और ना ही कोई कार्यवाही जैरकार है। अतः कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

9. अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वो कंपनी से समझोता वार्ता कर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहता है। इस हेतु उन्हे कुछ समय दिया जावे।

10. हमने प्रार्थी के द्वारा सरफेसी की धारा 14 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इसके साथ संलग्न किये गये दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट के तहत इस न्यायालय को मात्र पुलिस ईमदाद देनी की हद तक सीमित अधिकार है। प्रार्थना पत्र एवं इसके लगाये दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैक/कंपनी के द्वारा **जसनाथ तंवर निवासी –लक्ष्मी भवन/प्लाजा, शिव मन्दिर के पास, फर बाजार, बीकानेर आदि आदि** एवं उसके जमानतियों को ऋण वसूली हेतु इस अधिनियम की धारा 13(2) में नोटिस दिया गया है, जिसका संवहन (Deliver) ऋणी को हो जाना स्पष्टतया पाया जाता है। तदुपरान्त भी निर्धारित 60 दिवसीय अवधि समाप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के नही चुकायी गयी है, जबकि दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेसियर्स एसेटस एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट अधिनियम –2002 की धारा 14 में रहन (Mortgage) रखी गयी सम्पत्ति को कब्जे में ली जाकर प्रार्थी को दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है जो इस प्रकार है :–

Section 14 Chief Metropoitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured assest - (1) where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold or transferred by the secured creditor under the provision of this act, the secured creditor may , for the purpose of taking possession or control of any such secured assest, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the Distric Magistrate withing whoes jurisdisction any such secured assest or other documents relating theirto may be situlated or found, to take possession thereof , and the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, the Distric Magistrate shall, on such request being made to him -

(a) take possession of such assest and documents relating thereto ; and
(b) forward such assest and documents to the secured creditor

जिला कलक्टर बीकानेर

Provided that any application by the secured creditor shall be accompanied by an affidavit duly affirmed by the authorised officer of the secured Creditor, declaring that:

(i) the aggregate amount of financial assistance granted and the total claim of the bank as on the date of filing the application.

(ii) The borrower has created security interest over various properties and that the Bank or Finicial Institution is holding a valid and subsisting security interest over such properties and the claim of the Bank or the Financial is within the limitation period.

(iii) The borrwer has created secutity interest over various properties giving the details of properties refferred to in the sub clause (ii) above :

(iv) The borrower has comitted default in repayment of the financial assistance granted aggregating the specified amount:

(v) Consequent upon such default in repayment of the financial assistance the account of the borrower has been classified as non performing assest:

(vi) Affirming that the period of sixty days notice as requred by the provisions of sub section (2) of section 13, demanding payment of the defaulted finicial assistance has been served on the borrower:

(vii) The objection and representation in reply to the notice received from the borrower has been considered by the secured creditor and the reasons for non-acceptance of such objection or representation had been communicated to the borrower:

(viii) The brrower has not made any repayment of the financial assistance in spite of the above notice and the Authorised Officer is, therefore, entitled to take possession of the secured assest under the provision of sub section (4) of section 13 read with section 14 of the principal Act:

(ix) That provisions of this Act and the rules made there under had been complied with"

" Provided further that on receipt of the affidavit from Authorised Officer, The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall, after satisfying the contents of the affidavit pass suitable orders for the purpose of taking possession of the secured assest [1][within a period of thirty days from the date of application]:

[1][Provided further that if no order passed by the Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within the said period of thiry days for reson beyond his control, he may, after recording reasons in writing for the same pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty day]

Provided also that the requirement of filing affidavit stated in the first proviso shall not apply to proceeding pending before any District Magistrate or the Chief Metropolitan Mgistrate, as the case may be, on the date of commencement of this Act)

[2](1A) The District Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate may authoruise any officer subordinate to him --

(i) to take possession of such assest and documents relating thereto; and
(ii) to forward such assests and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use , or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

(3) No act of the chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate [1][any officer authorised by the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate] done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before authority.

11. अतः उपरोक्त वर्णित प्रावधानो के संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यो एवं दस्तावेजो के मध्येनजर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 में प्रार्थी बैंक/कंपनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 2 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पति को नियमानुसार कब्जे में लिए जाने के लिए **उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर** को निर्देश प्रदत्त किये जाते है तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने से पूर्व प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के प्रावधानो के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके ही पैरा 2 में वर्णित संपत्ति का अधिग्रहण (कब्जा) कर प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार सुपुर्द करेंगे। जिला पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित अधीनस्थ पुलिस उप अधीक्षक को इस आदेश की पालना हेतु **उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर** को आवश्कतानुसार प्रार्थी के खर्चे पर समुचित पुलिस बल उपलब्ध करवाने हेतु पाबंद करेंगे । **उपखण्ड अधिकारी कार्यवाही करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पति किसी भी न्यायालय के स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी बैक /कंपनी अप्रार्थीगण को देवें।**

12. आदेश आज दिनांक **23.02.2021** को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

जिला कलक्टर बीकानेर